न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतारसिह पूनियाँ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00246 (246/2019) 225 आरटीएक्ट

1. हनुमानप्रसाद पुत्र जगदीश
2. गोपाल पुत्र रणजीत

} जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रवणराम पुत्र फरसाराम
2. मंगलाराम } पि0 ईशरराम
3. मिठूराम }

} जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4. डुंगरराम पुत्र मानकाराम जाति नायक साकिन कुएंवाली ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. महेश पुत्र सुलतानराम जाति मेघवाल साकिन टिब्बा कलॉनी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. बिमला पत्नि पृथ्वीराज पुत्री सुलतान
7. सुलोचना पत्नि जगदीश पुत्री सुलतान

} जाति मेघवाल साकिन सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

8. शारदा पत्नि हरीराम पुत्री सुलतान जाति मेघवाल साकिन श्योपुरी तहसील विजयनगर श्रीगंगानगर राजस्थान।
9. जगदीश
10. रणजीत
11. रामस्वरूप
12. प्रेमकुमार
13. भीमसिंह

} पि0 श्रवणराम } जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

14. सुभाष पुत्र जगदीश
15. कमलेश पुत्री जगदीश पत्नि संजय जाति मेघवाल साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
16. द्रोपदी पुत्री जगदीश पत्नि सतपाल जाति मेघवाल साकिन चक ज्वालासिंह वाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
17. मुकेशकुमार पुत्र रणजीत
18. रोशनलाल पुत्र रणजीत
19. सुमन पुत्री रणजीत

} जाति मेघवाल साकिन प्रेमपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

20. गोमती पत्नि रामचन्द्र पुत्री श्रवणराम जाति मेघवाल साकिन ढ़ाबां झलार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
21. शाखा प्रबंधक जरिये एस बी आई शाखा सूरतगढ़ तहसील सूतरगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.12.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा प्रकरण सं. 84/2019 बअनवानी "हनुमानप्रसाद आदि बनाम श्रवणराम आदि "

उपस्थितः–
श्री अनिल कुमार सिहाग अधिवक्ता अपीलांटस
श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1
श्री पवन कुमार मोखरिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 10 ता 14
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 22

निर्णय दिनांक –06.9.22

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पड़दादा से प्रार्थीगण के दादा श्रवणराम को विसासतन प्राप्त हुई है। जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं 1 ता 20 की खानदानी व पैतृक भूमि है एवं जिसकी आय से प्रार्थना पत्र की दफा 4 व 5 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 के नाम से खरीद की गई अतः जिससे प्रार्थना पत्र की दफा 3 ता 5 में वर्णित कृषि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 ता 20 की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है इसलिए प्रार्थीगण का अपना हक व हिस्सा के हिसाब से अच्छी मंदी व रास्ता की सुविधा के अनुसार खाता व रकम राज अलग से कायम किया जावे। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खिलाफ गुट बना लिया है एवं हम प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि को रहन बैय तबादला व अन्य प्रकार से अन्तरण करने पर उतारू है। अतः प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

कृषि भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2019 को प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। जिसके बाद दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी दिनांक 16.10.2019 को आंशिक को स्वीकार कर आंशिक अस्वीकार कर निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का पड़दादा फरसाराम से प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के दादा श्रवणराम को विरासतन प्राप्त हुई है। जो कि अपीलांटस व रेस्पो0 सं0 1 ता 20 की खानदानी व पैतृक कृषि भूमि है एवं इसी संयुक्त परिवार की कृषि भूमि की आय से अपील की दफा 5 व 6 में वर्णित कृषि भूमि रेस्पो0 सं0 1 श्रवण राम के नाम से खरीद की गई है। चुंकि उक्त कृषि भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीदी गई है इसलिए उक्त समस्त कृषि भूमि प्रार्थीगण/अपीलांटस की पैतृक कृषि भूमि है। जिसमें अपीलांट का मुताबिक हिन्दु उतराधिकार जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है एंव अपीलांटस इसमें बहिस्सा बराबर के हकदार है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2019 को प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने के बाद अप्रार्थीगण की तलबी हेतु पत्रावली रखी गई। जिससे दिनांक 20.11.2019 को अप्रार्थी सं0 1 की ही तलबी हुई व अप्रार्थी सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण सं0 2 ता 20 की तलबी किये बिना ही पत्रावली पेशी में लेकर दिनांक 09.12.2019 को पक्षकारान को बिना सुने व बिना स्टेट का जवाब लिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने के योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो0 के खिलाफ विवादित कृषि भूमि के संबंध में ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील के बिन्दु सं0 8 के कथनानुसार अपील की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक हाने के कथन स्वीकार योग्य है। लेकिन शेष कृषि भूमि रेस्पो0 सं0 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि है। जिसे रेस्पो0 सं0 1 ने अपनी मेहनत से अर्जित किया है एवं इसमें अपीलांट को कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है। मात्र अपील की दफा

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4 में वर्णित कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा जगदीश व जगदीश के वारिसों का एवं 1/7 हिस्सा रणजीत व रणजीत के वारिसों का ब.हि.ब. का हक व हिस्सा है। रेस्पो0 सं0 1 अपील की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि में से अपीलांटस को उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि देने के लिए पूर्व में भी तैयार था और आज भी तैयार है। अपीलांटस लालची प्रवृति के व्यक्ति है तथा रेस्पो0 सं0 1 जो कि वृद्ध व्यक्ति है। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1 के कथनों को स्वीकार भी किया है। अपीलांटस रेस्पो0 सं0 1 की स्वअर्जित कृषि भूमि से मसरूम करना चाहते हैं, जिसमें की उनका कोई हक व हिस्सा नहीं बनता। अतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।
6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.10.2019 को अपीलांटस के पक्ष में व रेस्पो0 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी जिसे दिनांक 09.12.2019 को आंशिक स्वीकार कर चक 22पी.बी.एन. की कुल 0.759 हैक्टेयर कृषि भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद जारी किया एंव शेष विवादित कृषि भूमि को अप्रार्थी सं0 1 की खरीदशुदा मानते हुए उक्त कृषि भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किया। चुंकि पक्षकारान के मध्य कृषि भूमि के पैतृक या स्वअर्जित होने के संबंध में ही विवाद है एवं विवादित कृषि भूमि के पैतृक या स्वअर्जित होने का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण में ही होना है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का आदेश दिनांक 09.12.2019 निरस्त किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि रेस्पोडेंटस ताफैसला दावा तहसील पीलीबंगा के चक 22 पी0बी0एन0 की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070 से चालू खाता सं0 125/125 का प0नं0 12/331 मु0नं0 42 कि0न0 16, 17, 25 की कुल 0.759 हैक्टेयर, चक 21 पी0बी0एन0 की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से चालू खाता सं0 189/163 के प0नं0 7/329 मु0नं0 70 के किला नं0 16, 22, 23, 24, 25/1/0.126 की 1.138 हैक्टैयर व प0नं0 5/334 मु0नं0 135 कि0नं0 6, 7, 14 की 0.759 हैक्टेयर कुल 1.897 हैक्टेयर एवं चक 22 पी0बी0एन0 की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2074 से चालू खाता सं0 15/10 के प0नं0 13/336 के मु0नं0 79 किला नं0 3 ता 18 की कुल 4.048 हैक्टेयर कृषि भूमि में से रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि को रहन, बैय व अन्य प्रकार से अन्तरित न करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रखे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 6.9.22 को मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/9/22

(करतार सिंह पूनियाँ)
आर ए एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़